न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 59/2013 (2013/00045)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
हनुमानराम पुत्र मंगलाराम जाति सरगरा निवासी ग्राम गुड़ा विश्नोईयान तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1.पाबूराम पुत्र मांगीलाल 2.गजरा पत्नी मंगलाराम 3.श्रवणराम पुत्र मंगलाराम 4.सागरराम पुत्र मंगलाराम 5.रामनिवास पुत्र मंगलाराम 6.जेतकी पुत्री मंगलाराम 7.इलायची पुत्री मंगलाराम सभी जातियान भाम्बी निवासी ग्राम गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी जिला जोधपुर। 8.राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री दिवाकर शर्मा।
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 7 की और से अधिवक्ता श्री एम.आर. जुनागल।

दिनांकः–07.04.2026

–: : निर्णय : :–

वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम खाराबेरा भीमावता वर्तमान देव नगर पटवार हल्का धींगाणा तहसील लूणी के खसरा नम्बर 195 रकबा 51 बीघां 12 बिस्वा भूमि आई हुई है। वादी ने उक्त भूमि जरिये पंजीबद्व बेचाननामा प्रतिवादीगण के सह खातेदार कोजाराम के वारिसान से उनका 1/3 हिस्सा खरीद किया था जिसमें वादी का नाम अमलदरामद हुआ है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी प्रतिवादीगण के साथ अपने 1/3 हिस्से पर दर्ज काबिज खातेदार काश्तकार है, जिसका आज दिन तक माप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन नही होने से इसके लिए यह विभाजन का वाद वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वाद में प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.10.2025 को जारी की गई एवं तहसीलदार लूणी को बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स बंटवाड़ा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बंटवाड़ा प्रस्ताव पत्र क्रमांक/भू.अ./2026/902 दिनांक 24.03.2026 को पेश किया गया। वादी का भूमि के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज (जमाबंदी दिनांक 31.10.2025 से स्पष्ट) है। जिसके आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खातेदार का विवरण	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर में	किस्म	लगान
1	हनुमानराम पुत्र मंगलाराम हिस्सा पूर्ण जाति सरगरा सा. गुड़ा विश्नोईयान खातेदार	195	2.7842	बारानी चतुर्थ	5.85
2	ईलायची पुत्री मुगलाराम 1/12 गजरादेवी पत्नि मंगलाराम 1/12 जैतकी पुत्री मंगलाराम 1/12 रामनिवास पुत्र मंगलाराम 1/12 श्रवणराम पुत्र मंगलाराम 1/12 सागरराम पुत्र मंगलाराम 1/12सा. गुडा वि. चम्पादेवी पत्नि हेमाराम 1/2 सा. निम्बली जाति मेघवाल खातेदार	195	5.5685	बारानी चतुर्थ	11.69
		01	5.5685	बारानी चतुर्थ	11.69

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकारान संयुक्त खातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिकी पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाड़ा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 04.11.2025 के अनुसार विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तरतीम इन्द्राज करें। रहन हिस्से अनुसार दर्ज रखा जावें। बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं मौका फर्द दिनांक 04.11.2025 डिकी का अभिन्न अंग समझा जावे डिकी पर्चा जारी हो। तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

डिकी बमुकदमें दबतदाई

ओर्डर 21 रूल 6,–7 जाब्ता दीवानी

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 59/2013 (2013/00045)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
हनुमानराम पुत्र मंगलाराम जाति सरगरा निवासी ग्राम गुड़ा विश्नोईयान तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1.पाबूराम पुत्र मांगीलाल 2.गजरा पत्नी मंगलाराम 3.श्रवणराम पुत्र मंगलाराम 4.सागरराम पुत्र मंगलाराम 5.रामनिवास पुत्र मंगलाराम 6.जेतकी पुत्री मंगलाराम 7.इलायची पुत्री मंगलाराम सभी जातियान भाम्बी निवासी ग्राम गुडा विष्नोईयान तहसील लूणी जिला जोधपुर। 8.राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बंटवाड़ा प्रस्ताव का पेश किया गया। यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि –

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाड़ा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 04.11.2025 के अनुसार विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तरतीम इन्द्राज करें।

निज.................मुबलिक.............बाबत........................खर्चा इस मुकुदमें में मय सूद व वगैरह ....फीसदी सलाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....................को अदा करे।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 07.04.2026 जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरीजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिंक मीजान			स्टाम्प अरीजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिंक मीजान		

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी